भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 125

उत्तर देने की तारीख - 09/02/2026

आंध्र प्रदेश में विद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन में कमी

†*125. **श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए आंध्र प्रदेश में विद्यालयों और जूनियर कॉलेजों में नामांकन में 2,66,860 छात्रों की कमी का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो 'डेटा-क्लीनिंग', विद्यालय न जाने वाले बच्चों का पता लगाने और राज्य को प्रदत्त आधार/यूडीआईएसई लिंकेज जैसी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नामांकन में अचानक गिरावट आने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विशेष सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड अपनाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'आंध्र प्रदेश में विद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन में कमी' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 09.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 125 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वर्ष 2024-25 की नवीनतम यूडाइज़+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के छात्रों का कुल नामांकन 84,54,817 था। वर्ष 2025-26 हेतु यूडाइज़+ के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक के छात्रों का कुल नामांकन 84,35,128 है।

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुपालन में, वर्ष 2022-23 से प्रभावी, यूडाइज़+ एप्लिकेशन को छात्र रजिस्ट्री बनाने और बच्चों को ट्रैक करने के लिए पृथक छात्र-वार डेटा (स्वैच्छिक आधार पर आधार संख्या सहित) एकत्र करना पुनः शुरू किया गया है।

समग्र शिक्षा के तहत उन बच्चों की पहचान के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिनकी आयु छह वर्ष से अधिक है और जिन्हें किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला है या प्रवेश लेने के बाद भी उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, ताकि उन्हें आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले ऐसे बच्चों (ओओएससी) को कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से एकीकृत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य से, गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों हेतु प्रति वर्ष प्रति बच्चा 6,000 रुपये तक और आवासीय पाठ्यक्रमों हेतु प्रति वर्ष प्रति बच्चा 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): भारत सरकार समग्र शिक्षा लागू कर रही है, जो प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा-XII तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य देश भर में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायोचित गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल अवसंरचना में सुधार लाने, सार्वभौमिक पहुंच, जेंडर निष्पक्षता लाने, समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करने, व्यवसायपरक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत अधिकारों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत कुछ मुख्य मध्यवर्तन इस प्रकार हैं: -

क. सरकारी स्कूलों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कक्षाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सहित स्कूल अवसंरचना का उन्नयन और उसमें सुधार।

ख. स्कूल यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए सहायता।

ग. बच्चों को कम उम्र से औपचारिक स्कूल प्रणाली में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षा के लिए सहायता, जिससे कुल नामांकन में वृद्धि हो।

घ. स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की पहचान करना और उन्हें आयु-उपयुक्त कक्षा में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करना।

ङ. सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट कक्षा, डिजिटल बोर्ड, आईसीटी प्रयोगशाला, वर्चुअल कक्षा के लिए सहायता।

च. स्कूल तक पहुंच प्रदान करने के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए सहायता।

छ. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए अतिरिक्त सहायता।

ज. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी) को सहायता, ताकि कमजोर/पिछड़े वर्गों के बच्चे सुरक्षित आवासीय/स्कूल सुविधा में उच्च कक्षाओं तक शिक्षा जारी रख सके।

झ. पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) के लिए छात्रावासों का निर्माण और असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावासों का निर्माण।

ञ. शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए नामांकन अभियान, डोर-टू-डोर अभियान, सामुदायिक जुटाव आदि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत सरकार नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पौष्टिक गर्म पके हुए भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) भी लागू कर रही है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि जब विद्यार्थी लगातार तीन दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो माता-पिता को एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां कोई छात्र एक सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित कल्याण और शिक्षा अधिकारी छात्र के निवास स्थान का दौरा करते हैं ताकि अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाया जा सके और स्कूल में उनकी वापसी सुनिश्चित की जा सके।

*****